

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएं

**1025.** एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री के. सुधाकरन:

श्री बैत्री बेहनन:

डॉ. किरसान नामदेव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2022-23 से अब तक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य खण्ड की प्रत्येक योजना के लिए बजट, संशोधित बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रचालनात्मक वन स्टॉप केंद्र (ओएससी) हैं; और
- (ग) वर्ष 2022-23 से ओएससी योजना के तहत जारी/उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ग):** मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति में दो वर्टिकल अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत (एनए) शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (संकल्प:एचईडब्ल्यू) शामिल हैं।

मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। निधि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग के निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य वर्टिकल की प्रत्येक योजना के लिए वर्ष 2022-23 से अब तक के बजट, संशोधित बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

देश भर में कार्यशील ओएससी की संख्या का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 से ओएससी योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार निधि **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-I

'महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएं' के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री के. सुधाकरन, श्री बैन्नी बेहनन और डॉ. किरसान नामदेव द्वारा पूछे गए लोक सभा दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

संबल और सामर्थ्य वर्टिकल की प्रत्येक योजना के लिए बजट, संशोधित बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		कुल व्यय#
		बजट अनुमान	संशाधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशाधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशाधित अनुमान	व्यय	बजट व्यय	व्यय#	
1	ओएससी	338	225.00*	65.69	338.00*	270.00*	189.73	348	173.81	158.3	348	98.45	512.17
2	डब्ल्यूएचएल			37.44			75.25	57	25.76	10.89	57	17.42	141
3	बीबीबीपी	222	108	95.96	222	90.05	88.63	222	33.08	33.08	222	29.52	247.19
4	एनए	2	2	0	2	2	0.424	2	0.79	0.09	2	0.17	0.684
5	पीएमएमवीवाई	2048.01	1775	2032.8	2067	1500	870.34	2067	1448.89	1448	2185	955.48	5306.62
6	शक्ति सदन	159.1	25	15.45	159.1	118.99	118.98	60	85	84.98	80	22.56	241.97
7	सखी निवास	43	20	17.63	43	20	4.52	43	8.13	8.13	20	2	32.28
8	पालना	75	35	4.68	85	85	64.15	150.11	45.17	45.17	125	10.26	124.26
9	संकल्प: एचईडब्ल्यू	280	81.43	65.6	210	150	102.52	210	44.24	44.24	102	46.6	258.96
	कुल योग	3167.11	2046.43	2335.25	2788.1	1966.04	1514.544	3159.11	1864.87	1832.88	3141	1182.46	6865.134

\*नोट: उपलब्ध संयुक्त बजट अनुमान और संशोधित अनुमान

# अंतिम तिथि 30.11.2025

अनुलग्नक-II

'महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएं' के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री के. सुधाकरन, श्री बैन्नी बेहनन और डॉ. किरसान नामदेव द्वारा पूछे गए लोक सभा दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

देश भर में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यशील ओएससी का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील ओएससी की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	26
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	36
5	बिहार	39
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	34
8	दादर और नगर हवेली	3
9	दिल्ली	11
10	गोवा	2
11	गुजरात	35
12	हरियाणा	22
13	हिमाचल प्रदेश	13
14	जम्मू एवं कश्मीर	20
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	40
17	केरल	14
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	57
21	महाराष्ट्र	55
22	मणिपुर	16
23	मेघालय	12
24	मिजोरम	13
25	नागालैंड	17
26	ओडिशा	32
27	पुदुच्चेरी	4
28	पंजाब	23
29	राजस्थान	50
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	49

32	तेलंगाना	36
33	त्रिपुरा	9
34	उत्तर प्रदेश	96
35	उत्तराखंड	14
36	पश्चिम बंगाल	24
	<b>कुल</b>	<b>864</b>

अनुलग्नक-III

'महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएं' के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री के. सुधाकरन, श्री बैन्नी बेहनन और डॉ. किरसान नामदेव द्वारा पूछे गए लोक सभा दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

ओएससी के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जारी राज्यवार और वर्षवार निधियों का ब्यौरा

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.2	135.99	0.00
2	आंध्र प्रदेश	72.96	605.58	189.07
3	अरुणाचल प्रदेश	40.39	847.7	757.40
4	असम	129.61	1755.4	282.76
5	बिहार	शून्य *	शून्य *	शून्य *
6	चंडीगढ़	49.22	16.8	19.04
7	छत्तीसगढ़	304.63	882.44	945.91
8	दादर और नगर हवेली	शून्य *	50.39	57.14
9	दिल्ली	138.56	184.78	314.29
10	गोवा	शून्य *	शून्य *	54.89
11	गुजरात	386.76	1166.2	857.38
12	हरियाणा	186.75	594.68	419.06
13	हिमाचल प्रदेश	18.9	403.15	47.22
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य *	335.96	470.88
15	झारखंड	शून्य *	शून्य *	शून्य *
16	कर्नाटक	130.88	1054.1	921.81
17	केरल	139.28	शून्य *	400.01
18	लद्दाख-संघ राज्य क्षेत्र	शून्य *	33.6	38.10
19	लक्षद्वीप	शून्य *	16.8	शून्य *
20	मध्य प्रदेश	261.55	820.48	2225.83
21	महाराष्ट्र	69.37	1,539.60	शून्य *
22	मणिपुर	543.29	268.77	304.77
23	मेघालय	232.77	321.56	228.58
24	मिजोरम	178.05	283.45	563.26
25	नागालैंड	197.41	545.83	647.55
26	ओडिशा	614.67	1,084.90	818.62
27	पुदुच्चेरी	18.25	शून्य *	शून्य *
28	पंजाब	शून्य *	389.01	438.10

29	राजस्थान	129.59	883.59	752.03
30	सिक्किम	77.48	126.09	114.29
31	तमिलनाडु	697.43	1,158.80	1059.64
32	तेलंगाना	1,392.60	1,217.40	256.42
33	त्रिपुरा	18.21	शून्य *	शून्य *
34	उत्तर प्रदेश	347	1,812.70	1801.43
35	उत्तराखंड	153.33	436.75	53.80
36	पश्चिम बंगाल	28.41	शून्य *	641.93

*\*सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।*

\*\*\*\*\*